

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(63)एमई/ग्रुप-1/09

जयपुर, दिनांक :

8 MAY 2017

आदेश

सहायक आचार्य, फार्माकोलोजी पद की वर्ष 2011-12 की विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषाओं को डॉ. विनिता घोसलिया, वरिष्ठ प्रदर्शक फार्माकोलोजी के प्रकरण में पुनर्विलोकन विभागीय पदोन्नति समिति (रिव्यू डीपीसी) की बैठक दिनांक 13-4-2017 के द्वारा रिव्यू किया गया। समिति की अनुशंषा पर डॉ. घोसलिया की पूर्व में वर्ष 2011-12 की रिक्ति के विरुद्ध सहायक आचार्य फार्माकोलोजी के पद पर पदोन्नति हेतु की गई अनुशंषा को निरस्त कर, डॉ. घोसलिया को वर्ष 2012-13 रिक्ति के विरुद्ध सहायक आचार्य फार्माकोलोजी के पद पर एतद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है।

आदेश से,

(भगवत सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज., जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर।
6. संबंधित चिकित्सक।
7. श्री पी.पी. तिवाड़ी, सहायक प्रोग्रामर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)

शासन सहायक सचिव